न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2019 (उदयपुर आर्डर)

मोडीलाल पिता मेघा जी डांगी, निवासी होली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हरलाल पिता नाथू जी मेघवाल, निवासी वासनीखुर्द, हाल निवासी रेल्वे फाटक, पलाना रोड़ मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रूपा बाई पत्नी हरलाल जी मेघवाल, निवासी वासनीखुर्द, हाल निवासी रेल्वे फाटक, पलाना रोड़ मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर, (SDO) मावली
दिनांक 26–08–2019 प्र०सं० 35/19

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कन्हैयालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय **दिनांक 11–01–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम होली में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1141/1084 कुल किता 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम बराबर–बरा[illegible] अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर [illegible] रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड [illegible] दर्ज है। उक्त परिशिष्ट ''अ'' की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:38 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात जो हम प्रार्थीगण की खातेदारी की है उसमें आवागमन के लिए 60 फिट चौडा रास्ता मुख्य सड़क से होकर सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 626 मी. की भूमि के बीच खाली पड़ी भूमि पर सदीप से बना हुआ है, जिससे होकर हम प्रार्थीगण अपनी आराजी नंबर 1088 व 1089 से होते हुए हुए अपनी कृषि उपज खाद, बीज, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि लाते ले जाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी इसी रास्ते का उपयोग आवागमन के रूप में करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, न ही कभी रहा है। प्रार्थीगण का मजबूत प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवदेन किया कि परिशिष्ट ''अ'' की आराजियात में से आराजी नंबर 1088 व 1089 की सीमा तक पहुंचने के लिए (आराजी नंबर 1088 व 1089 के सामने उत्तर दिशा में) परिशिष्ट ''ब'' की भूमि के मध्य से 60 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में ''रास्ता'' अंकित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गयी। विपक्षी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही अपना जवाब माने जाने का निवेदन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर तहसीलदार मावली की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 26–08–2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कीमतन रास्ता दिये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–12–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी, न ही उन्हें सुना गया। उक्त निर्णय की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 14.10.2019 को हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवेदन का हमारे द्वारा अवलोकन किया जाकर बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इस कारण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि मौजा होली के आराजी नंबर 1088 में आने–जाने हेतु रास्ता आराजी नंबर 632 जो कि आराजी नंबर 1088 से सटमा है में से होकर आराजी नंबर 632 के आगे आराजी नंबर 626 मी. बिलानाम में से होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 आते जाते हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट को रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट के आधार पर बिलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रिजर्व भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से रास्ते का आदेश पारित करवा लिया है तथा आराजी नंबर 1089 में आराजी नंबर 1090 बिलानाम रास्ते को मिलाकर बाउण्ड्रीवाल बना दी है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उक्त रास्ता अपीलान्ट की भूमि पर आने–जाने के काम में आ रहा है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन का हमने अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलान्ट के हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं यह अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, जब तक अपीलान्ट द्वारा अपनी हितबद्धता साबित नहीं करवायी जाती है, तब तक उसे प्रभावित अथवा हितबद्ध व्यक्ति नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजियात से रास्ता दिया गया है, जबकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजियात में से किसी खातेदार को रास्ते की भूमि नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना माईन्ड एप्लाई किये निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली की मौका रिपोर्ट के आधार पर कीमतन रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्र[illegible] रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। मौका दिनांक 22–07–2019 जो स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नंबर 626 मी. के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भी खसरा नंबर 626 बिलानाम काबिल काश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में से ही कर रहे हैं। अतः खसरा नंबर 1088 के उत्तरी–पूर्वी कोने से खसरा नंबर 626 में 30 फिट रास्ता कीमतन दिया जाना उचित होगा।''

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट तलब की एवं राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3(52)राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14–06–2013 के अनुसरण में डी.एल. सी. दर 1,98,045/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 39,609/– का दुगना 79,218/– रूपये प्रार्थीगण से वसूल कर जमा कराये जाने का आदेश देते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया है, जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–08–2019 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–01–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.02.23 12:45:38 IST
Reason: SelfAttested